न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 155/2019 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
ताजाराम पुत्र मंशाराम जाति पुरोहित, निवासी बोथिया जागीर तहसील व जिला बाड़मेर		1. भीखीदेवी पुत्री भंवरसिंह पत्नी तारसिंह जाति पुरोहित, निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर 2. खीमुदेवी पत्नी पोकरसिंह 3. शांतिदेवी पत्नी सगतसिंह जाति पुरोहित, निवासी सीताराम की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादीनी संख्या 1 :– देवीलाल कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28.02.2024

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 के अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार होने से विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया है तथा मौके पर हम पक्षकारान् को को सूचित किये बिना एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव तैयार किया हुआ होने से उक्त विभाजन प्रस्ताव को निरस्त कर पुनः नये सिरे से तहसीलदार की उपस्थिति में उभयपक्ष व मौतबिरान के रूबरू मौके पर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त प्रकरण में नियमानुसार तहसीलदार शिव से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर प्राप्त किया गया है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में तैयार किया गया है, जिसमें रूबरू मौतबिरान एवं हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक और तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये गये है तथा प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला अनुपस्थित रहे है। अतः उक्त स्थिति में प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव के ग्राम सीताराम की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 199, 363 रकबा क्रमशः 33.06, 81.06 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
01	ताजाराम पुत्र मंशाराम कौम पुरोहित सा. बोथिया जागीर तह0 व जिला बाड़मेर	सीतारामकी ढाणी	199	16.13	बा.सो.	1.00	बैंगनी
			363	16.13	बा.सो.	1.00	
			2	33.06		2.00	
02	भीखीदेवी पुत्री भंवरसिंह पत्नी तारसिंह कौम पुरोहित सा. लंगेरा खातेदार (रहन एसबीबीजे शिव)	सीताराम की ढाणी	199	16.13	बा.सो.	1.00	

21

Scanned with OKEN Scanner

	भीखीदेवी पुत्री भंवरसिंह पत्नी तारसिंह कौम पुरोहित सा. लंगेरा शांतीदेवी पत्नी सगतसिंह, खीमुदेवी पत्नी पोकरसिंह कौम पुरोहित सा. सवाईपुरा खातेदार रहन शांतीदेवी का हिस्सा आरएमजीबी शाखा व भीखीदेवी का हिस्सा एसबीबीजे शिव	सीताराम की ढाणी	363	64.13	बा.सो.	3.88	

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित इस निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner